क्रमांकः 644 /कार्यालय/2020 भोपाल, दिनांकः 2/7/2020

वाहन सेवाओं के लिये ई–निविदा – वर्ष 2020

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के उपयोग में आने वाले वाहन सेवाओं के लिए **ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी से** आन–लाइन प्रथम ई–निविदा वर्ष–2020 आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, निविदा शर्ते, अन्य विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर लाग–आन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000=00 तथा निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 15,00,000=00 (रूपये पन्द्रह लाख) है। निविदा के अनुमानित मूल्य की मूल्य की पांच प्रतिशत राशि अर्थात रू. 75,000=00 (रूपये पच्चहतर हजार) अमानत राशि (ईएमडी) के रूप में अनिवार्यतः जमा करना हैं। निविदा प्रपत्र के मूल्य एवं अमानत राशि (इएमडी) को ऑन–लाइन जमा किया जाना है।

ई–निविदा के प्रकाशन पश्चात किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Dateof Publication	3-7-2020	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर भी दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	3-7-2020	
03	Bid Submission Start Date	3-7-2020	
04	Document Download End Date	24-7-2020	
05	Bid Submission End Date	24-7-2020	
06	Bid Opening End Date	25-7-2020	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की वेबसाइट www.mpnvva.in पर भी उपलब्ध है।

सचिव

भाग – 1
निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1.1 निविदा प्रपत्र https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी जानकारी म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की वेब साइट www.mpnvva.in पर भी उपलब्ध है।

1.2 निविदा केवल ऑन लाईन ही स्वीकार की जावेगी। ऑफ लाईन स्वीकार नहीं की जावेगी।

1.3 यह निविदा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के उपयोग के लिए स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दरों पर ए.सी. वाहन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल्स एजेन्सियों से आमंत्रित की जा रही है।

1.4 वेब–साईट https://mptenders.gov.in पर आन–लाइन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब–साइट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रू. 15,00,000=00 हैं।

1.5 निविदा आन–लाइन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Date of Publication	3-7-2020	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर भी दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	3-7-2020	
03	Bid Submission Start Date	3-7-2020	
04	Document Download/ End Date	24-7-2020	
05	Bid Submission End Date	24-7-2020	
06	Bid Opening End Date	25-7-2020	

1.6 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर दोपहर 3–30 बजे खोली जावेगी।

1.7 <u>प्रक्रिया–1</u>: निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000=00 (रूपये एक हजार मात्र) हैं, जिसे ऑन–लाईन जमा किया जाना है। निविदा के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत राशि रूपये 75,000–00 (रूपये पच्चहतर हजार) को **अमानत राशि (ईएमडी)** के रूप में आन लाईन जमा किया जाना हैं। ऑन–लाईन राशि जमा करने की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड किया जाना हैं।
उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं **अमानत राशि (ईएमडी)** प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए पात्र माना जायेगा। रसीद सचिव, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम से होगी।

1.8 <u>प्रक्रिया–2</u> : तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा पर विचार किया जावेगा। तकनीकी निविदा के भाग–2 में दर्शित अभिलेख फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित अभिलेख स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।

1.9 <u>प्रक्रिया–3</u> : तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को आन लाइन प्रस्तुत किया जाना हैं।

भाग – 2
निविदा की अर्हकारी शर्तें

2.1 निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।

2.2 पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) में न्यूनतम रू0 45–00 लाख. प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। **ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, आडिटेड बैलेन्सशीट तथा लेखे संलग्न करने आवश्यक है।**

2.3 पिछले तीन असेसमेन्ट वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) का आयकर रिटर्न छायाप्रति भी संलग्न करे।

2.4 निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रू0 500=00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

2.5 निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को :–
(क) जी0एस0टी0 (GST) पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।
(ग) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) पीएफ रजिस्ट्रेशन पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(च) ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

2.7 ई–निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं हैं।

2.8 निविदा ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें एस.यू.वी., सिडान एवं हैचबैक श्रेणी) अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। वाहन वर्ष 2018 से अधिक पुराने न हो एवं पच्चीस हजार किमी से अधिक नहीं चलें हो तथा श्रेष्ठ स्थिति में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। यदि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी **प्रपत्र ए–2** अनुसार प्रस्तुत करे। निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ **प्रपत्र ए–2** के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2.9 सभी वाहन टेक्सी कोटे से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

भाग – 3
निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकार को निविदा के अनुमानित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अर्थात रूपये 1,50,000–00 बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि के रूप में म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पक्ष में अनुबंध के पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि का सत्यापन म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा किया जायेगा।
सफल निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा जमा की गई **अमानत राशि (ईएमडी)** राशि रू. 75,000=00 (रू. पच्चहतर हजार) बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि के रूप में परिवर्तित होकर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा जमा की गई **बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि को राजसात कर उसका नकदीकरण किया जायेगा।** सफल निविदाकर्ता की **अमानत राशि भी म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगी।**

3.2 सफल निविदाकर्ता को म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के साथ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध न करने की स्थिति में निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी की गई **बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि को म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा राजसात किया जावेगा।**

3.3 सफल निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3.4 म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल एवं सफल निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी के मध्य सम्पन्न अनुबंध की अवधि को अपरिहार्य एवं आपात परिस्थिति में दोनो पक्षो की आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता हैं। अनुबंध अवधि में वृद्धि हेतु मूल दर में कोई वृद्धि मान्य नहीं होगी।

3.5 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

3.6 कार्य संतोषजनक न होने या निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी का कार्य आदेश म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जायेगा एवं ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि राशि एवं अमानत राशि राजसात की जावेगी।

3.7 कार्य में त्रुटि या विलम्ब होने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगाः–
(क) **त्रुटिः–** निविदा में दी गई शर्तों के अनुरूप वाहन सेवा प्रदाय न करने पर देयक से 5 प्रतिशत राशि की कटौती भी की जाएगी।
(ख) **विलम्बः–** विलम्ब से वाहन प्रदाय करने या न करने पर उस दिन के किराये की कुल राशि का 10 प्रतिशत कटौती आगामी प्रस्तुत देयकों से की जावेगी।
(दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अध्यक्ष, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के विवेकाधीन होगा)।

3.8 निविदा के विनिश्चय हेतु दरें कर रहित (Without Tax) होगी। अन्य लागू करों (यदि कोई हो तो) को पृथक से दर्शाया जाये।

3.9 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि (ईएमडी) पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.10 निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जावेगी।

3.11 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु तथ्यपरक कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

3.12 वाहनों के परमिट रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टेक्स, पी.यू.सी. प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का अद्यतन (UPDATE) होना अनिवार्य है। सभी परिवहन नियमों का पालन करना ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी की जिम्मेदारी होगी।

3.13 निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का बीमा भी शामिल हो।

3.14 प्रदाय किये जाने वाले वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य होगा।

3.15निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी/वाहन चालक को म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के नियंत्रण में रहकर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

3.16 वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य होगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि की जवाबदारी निविदाकर्ता ट्रेवल्स एजेन्सी/फर्म की होगी।

3.17 वाहन चालकों को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनका व्यवहार/आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी को "ब्लेक लिस्ट" किया जा सकेगा और इसके कारण म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनयामक आयोग, भोपाल को हुई क्षति की वसूली निविदा की धरोहर राशि से की जावेगी। दुर्व्यवहार करने पर वाहन चालक पर रू. 100=00 प्रतिदिन की दर से दंड अधिरोपित किया जायेगा।

3.18 म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार की दुर्घटना या चोरी होने पर उससे संबंधित सेवा आदि की समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी की होगी। यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर दो घंटे के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में स्वयं के व्यय पर वाहन की व्यवस्था करने पर वाहन पर संबंधित होने वाला समस्त व्यय ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी पर भारित होगा।

3.19 निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को टेलिफोन पर या लिखित में वाहन की मांग किसी भी समय किये जाने पर वाहन अधिकतम 2 घंटे में उपलब्ध कराना होगा। म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की आवश्यक्तानुसार अवधि के लिए ट्रेवल ऐजेन्सी को वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.20 यात्रा के दौरान विश्राम तथा भोजन आदि की व्यवस्था वाहन चालक ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

3.21 भोपाल (मुख्यालय) से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा।

3.22 वाहन पर लगने वाले समस्त कर निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा वहन किये जावेंगे।

3.23 सफल निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा प्रत्येक माह देयक दो प्रतियों में सचिव, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। इस देयक के साथ लागबुक/ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम, पद तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

3.24 म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के कार्य के लिए वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, परमिट शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की पूर्ति की जावेगी।

3.25 म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कही भी, कभी भी वाहनों की मांग की जा सकती है। निविदाकर्ता ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को उस स्थान में स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.26 प्रदाय किये गये वाहन के माइलोमीटर की रीडिंग कार्यस्थल से प्रारम्भ होकर कार्यस्थल पर समाप्त होगी। माइलोमीटर की रीडिंग की फोटो देयक के साथ लगाना अनिवार्य होगी।

3.27 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर समिति स्वविवेक से पैरामीटर / प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.28 वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होगा तथा वर्दी पर उसके नाम की पट्टी लगी होना चाहिए। वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य है, वाहन चालक के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण पंजीकृत नहीं हो।

3.29 वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अनिवार्य है।

3.30 वित्तीय निविदाओं में 1200 कि.मी. प्रतिमाह तथा 1200 कि.मी. से अधिक वाहन चलने के उपरांत की दरें प्रस्तुत की जायें। जी.एस.टी. की दर पृथक से वित्तीय निविदा में प्रस्तुत करें।

3.31 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation)का प्रश्न उपस्थित होने पर अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

3.32 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल होंगे।

3.33 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.34 निविदाकारों को वित्तीय निविदा प्रपत्र ए-3 में प्रस्तुत की जाना है।

3.34 निविदा की शर्ते, अर्हता से सन्तुष्ट नहीं होने की दशा में निविदा को निरस्त करने का अधिकार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कापी अपलोड की जाना हैं।

सं0 क्रं0	विवरण
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 1000=00 आन–लाइन जमा की रसीद।
02	**अमानत राशि (ईएमडी)** की राशि रूपये 75,000=00 आन–लाइन जमा करने की रसीद
03	निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।
04	पिछले तीन प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) में न्यूनतम रू0 45–00 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। **निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि तथा आडिटेड बैलेन्सशीट तथा लेखे संलग्न करने आवश्यक है।**
05	पिछले तीन असेसमेन्ट वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) के आयकर रिटर्न जमा करने की छायाप्रति भी संलग्न करे।
06	निविदाकर्ता ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रू0 500=00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
07	जी0एस0टी0 (GST) पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
08	PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।
09	निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
10	निविदा प्रपत्र ए–1
11	निविदाकर्ता ट्रेवल फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें एस.यू.वी., सिडान, हैचबैक श्रेणी के) अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। वाहन वर्ष 2018 से अधिक पुराने न हो व पच्चीस हजार किलोमीटर से अधिक न चले हो और श्रेष्ठ स्थिति में होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी **प्रपत्र ए–2** अनुसार प्रस्तुत करे। निविदाकर्ता ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ **प्रपत्र ए–2** के साथ प्रस्तुत करना होगा।

पत्र ए–1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

सचिव,
म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

विषयः– वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष–2020 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी की जानकारी निम्नानुसार हैः–

सं0 क्रं0	विवरण	
01	फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैन्डलाईन)	
06	ई–मेल	

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3" में दर्शित शर्तों के अनुसार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की **लिये वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष–2020** का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी की हस्ताक्षर एवं सील

मो.नं.

प्रपत्र ए–2

सं. क्रं.	वाहन की श्रेणी	फर्म / संस्था / एजेन्सी / कम्पनी में व्यावसायिक वाहन का पंजीयन क्रमांक	निर्मित वर्ष (माडल वर्ष)	वाहन का बीमा	फर्म / संस्था / एजेन्सी / कम्पनी मालिक का नाम
01	SUV Models				
02	SEDAN Models				
03	Hatchback Models				

शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित
रू. 500/— के स्टाम्प पेपर पर

मैं————————————————द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स——————————————————

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:—

(1) यह कि ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया हैं।

(2) यह कि ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को किसी कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।।

(3) यह कि ट्रेवल्स फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को किसी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी भ्रामक एवं असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल को होगा।

शपथग्रहीता

नाम :
पिता का नाम :
पता :
हस्ताक्षर :
मो.न.:

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहीता

नाम :
पिता का नाम :
पता :
हस्ताक्षर :
मो.न.:

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

वाहन कार्य हेतु निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित किराया दरें

ट्रेवल्स फर्म / संस्था / एजेन्सी / कम्पनी का नाम	

क्र	वाहन की श्रेणी	मासिक किराया 12 घंटे 1200 कि.मी. प्रति माह की दरें	1200 कि.मी. वाहन चलने के
1	SUV		
2	SEDAN		
3	Hatchback		
	कर का नाम एवं दर		
	कर का नाम एवं दर		
	कर का नाम एवं दर		